

## न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या - 168/20-21

.....  
रामजी उरैव ..... आवेदक

बनाम

.....  
रेशमा लकड़ा ..... विपक्षी

### आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती रामजी उरैव  
 पिता/पति श्री सोमरा उरैव निवास,  
 ग्राम करमतेली थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित  
 विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम  
 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के  
 आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

### भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
<u>हरि</u>	<u>गुमला</u> <u>55</u>	<u>73</u>	<u>339</u>	<u>0-62 1/2</u> <u>0-04 3/4</u>

(पैने पाँच डिसेमील)

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित क्रेता  
 श्री/श्रीमती रेशमा लकड़ा पिता/पति सुरेन्द्र लकड़ा  
 निवासी ग्राम पेरर थाना गुमला जिला  
 गुमला को राशि रुपये 1,60,000/- (एक लाख छह हजार 00) पर  
 बिक्री करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज  
 हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत  
 नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे हैं।  
 अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम  
 ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के  
 पत्रांक 247 दिनांक 07/11/21 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,  
 जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति

प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के उर्राव है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी गुमला के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती रामजी उर्राव पिता/पति राम सोमरा उर्राव निवासी ग्राम करमरोली थाना गुमला जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

### भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
<u>हिर</u>	<u>गुमला</u> <u>55</u>	<u>73</u>	<u>339</u>	<u>0.62</u> <u>मेते</u> <u>0.04</u> <u>३९</u>

(कुल रकबा पौने पाँच छितमील)

चौहदी - उत्तर- टांड गुमला उर्राव  
पूरब- पकरी लुडर

दक्षिण- टांड मंगल उर्राव  
पश्चिम- बिकेला का वागीजमीन

लेखापित एवं संशोधित

वीजण्य  
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
गुमला।

वीजण्य  
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
गुमला।